न्यायमूर्ति एस.एस. सुधालकर के समक्ष

प्रोफ छतर पल सिंह —- याचिकाकर्ता

बनाम

कंवल सिंह और अन्य —प्रतिवादी

E. P. No. 19 of 1996

15th दिसंबर, 2000

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951–धारा. 23(1)ए, 81 और 100 हरियाणा विधान सभा के चुनाव - याचिकाकर्ता भ्रष्ट आचरण के आरोप पर प्रतिवादी 2 के चुनाव को चुनौती दे रहा है - चुनाव याचिका के लंबित रहने के दौरान विधानसभा का विघटन - क्या याचिका शैक्षणिक और निरर्थक हो जाती है - अभिनिर्धारित, हाँ.

(लोकनाथ पधान बनाम बीरेंद्र कुमार साहू, एआईआर 1974 एससी 505, अनुसरण किया गया)

अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 के गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने की लंबित अवधि के दौरान, हरियाणा विधानसभा भंग कर दी गई थी। यह मामला लोकनाथ पधान बनाम बीरेंद्र कुमार साहू, एआईआर 1974 एससी 505 में निर्धारित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में, चुनाव याचिका के साथ आगे बढ़ना पूरी तरह से अकादमिक होगा और मेरा मानना है कि चुनाव याचिका अकादमिक बन गई है। और इसलिए निष्फल.

(अनुच्छेद 19)

एस.के. गर्ग, याचिकाकर्ताओं के वकील
एम. एल. सागर, प्रतिवादी संख्या 1 के वकील

फैसला

न्यायमूर्ति एस.एस. सुधालकर

(1) हरियाणा विधान सभा के चुनाव वर्ष 1996 में हुए थे। याचिकाकर्ता ने हरियाणा में हिसार जिले के 75-घिराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वहां अन्य प्रतियोगी भी थे. प्रतिवादी क्रमांक 1 भी प्रतियोगियों में से एक था। उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया. उनके चुनाव को याचिकाकर्ता ने इस प्रार्थना के साथ चुनौती दी है कि प्रतिवादी नंबर 1 का चुनाव शून्य घोषित किया जाए; चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण करने के लिए उसे अयोग्य ठहराया जाए; 75-घिराई विधानसभा क्षेत्र के वोटों की पुनर्गणना का आदेश दिया जाए और याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया जाए और प्रतिवादी नंबर 24 प्रदीप कुमार पुत्र मनफूल सिंह को चुनाव में भ्रष्ट आचरण करने का दोषी ठहराया जाए।

(2) इस मामले में, मुद्दे तय किए गए थे। कुछ मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में भी सुना गया और उसके बाद 3 अप्रैल, 1998 के मेरे आदेश द्वारा याचिका के अनुच्छेद नंबर 7 को रद्द कर दिया गया। शुरुआती मुद्दों पर बाकी आपत्तियां उस समय स्वीकार नहीं की गईं. इसके बाद साक्ष्य दर्ज किए गए। याचिकाकर्ता की गवाही के बाद प्रतिवादी नंबर 1 की गवाही शुरू हुई और प्रतिवादी नंबर 1 के गवाहों की गवाही दर्ज होने के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधानसभा भंग कर दी गई। प्रतिवादी नंबर 1 भी सबूत पेश करने के लिए आगे आए। इसके बाद, मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

(3) प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति यह है कि हरियाणा विधान सभा के विघटन के मद्देनजर चुनाव याचिका टिक नहीं पाती है। इस तर्क का याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विरोध किया है। बेशक, भ्रष्ट आचरण से संबंधित मुद्दे पर कोई सबूत नहीं दिया गया है और यह माना गया कि याचिकाकर्ता कथित भ्रष्ट आचरण को साबित करने में विफल रहे है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मामले में केवल मुद्दा संख्या 7 और 8 बचते हैं। मुद्दे इस प्रकार हैं:-

"7. क्या गिनती ठीक से नहीं की गई और वोटों की गणना के दौरान अनियमितताएं की गईं, जिसका आंतरिक तौर पर चुनाव के नतीजे पर असर पड़ा? ओ पी पी

8. क्या याचिकाकर्ता द्वारा दोबारा वोटों की गिनती का कोई मामला बनाया गया है? ओ पी पी

(5) प्रतिवादी नंबर 1 के वकील ने तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भ्रष्ट आचरण का आरोप साबित नहीं हुआ है और विधान सभा भंग कर दी गई है, यह याचिका निरर्थक हो गई है और इसलिए टिक नहीं पाती है। पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें आगे बढ़ाई हैं और कुछ फैसलों पर भरोसा किया है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने श्योदान सिंह बनाम मोहन लाई गौतम[1] और मोती राम बनाम परम देव और अन्य[2] के मामले पर भरोसा किया है।

(7) प्रतिवादी नंबर 1 के वकील ने सभापति, राज्यसभा, पी. हाउस और अन्य बनाम एस.एस. सोहोनी और अन्य[3] और लोकनाथ पधान बनाम बीरेंद्र कुमार साहू[4]के मामले पर भरोसा किया है।

(8) सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि जहां तक निर्णय के मुद्दे का सवाल है, एस.एस. सोहोनी (सुप्रा) का मामला प्रासंगिक नहीं है। उस मामले में, एक रिट की अनुमति दी गई थी। इसके खिलाफ अपील दायर की गई. हालाँकि, अपील के लंबित रहने के दौरान, चुनौती देने वाले ने सेवानिवृत्ति की मांग की और सेवा से इस्तीफा दे दिया, जिसे अनुमति दे दी गई। यह माना गया कि अपील में कुछ भी नहीं बचा। यह मामला चुनाव से संबंधित कानून से जुड़ा नहीं होने के कारण, मुझे लगता है कि वर्तमान मामले से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

---

[1] ए आई आर 1969 एस सी 1024
[2] ए आई आर 1993 एस सी 1662
[3] ए आई आर 2000 एस सी 397
[4] ए आई आर 1974 एस सी 505

(9) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि श्योदान सिंह के मामले में फैसला तीन न्यायाधीशों का फैसला है और लोकनाथ का मामला सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों द्वारा तय किया गया मामला है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि श्योदान सिंह के मामले में फैसले के मद्देनजर विधानसभा का विघटन प्रतिवादी नंबर 1 के बचाव में नहीं आएगा। उस मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अपीलकर्ता का यह तर्क सही पाया जाता है कि प्रतिवादी चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी था, तो न केवल उसका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाएगा, बल्कि वह कुछ चुनावी अयोग्यता के लिए भी उत्तरदायी होगा। वर्तमान मामले में, भ्रष्ट आचरण का सवाल ही नहीं है।

(11) श्योदान सिंह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि चुनाव याचिकाएँ पूरी तरह से वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित होती हैं, और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि कुछ वैधानिक प्रावधान सीधे या आवश्यक निहितार्थ से निर्धारित करते हैं कि विधानसभा भंग होने पर उक्त लंबित चुनाव याचिकाएँ समाप्त हो जाती हैं इस तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी देखा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) में निर्वाचित उम्मीदवार के इस्तीफा दे देने या विधानसभा भंग होने पर चुनाव याचिका की समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

(12) लोक नाथ पधान (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह भारत में मान्यता प्राप्त और पालन की जाने वाली एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है कि यदि कोई मुद्दा पूरी तरह से अकादमिक है तो उसके निर्णय का किसी न किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टियों की स्थिति पर, यह सार्वजनिक समय की बर्बादी होगी और वास्तव में अदालत के लिए इस पर निर्णय लेने में संलग्न होना उसकी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं होगा।

(13) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि लोकनाथ के मामले में निर्णय दो न्यायाधीशों का निर्णय है और श्योदान सिंह के मामले में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों का निर्णय है और इसलिए, बाद वाले निर्णय का पालन किया जाना चाहिए। आम तौर पर उपरोक्त स्थिति होती लेकिन यहां, इस मामले में, लोकनाथ के मामले में फैसले को पढ़ने के

बाद, यह स्पष्ट है कि श्योदान सिंह के मामले में फैसला विचारणीय और प्रतिष्ठित है और जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसले को अलग कर दिया है, तो यह न्यायालय भेद को स्वीकार करता है।

(14) लोकनाथ के मामले में, उनके आधिपत्य ने पाया कि श्योदान सिंह के मामले में भ्रष्ट आचरण का आरोप था और यदि उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप भ्रष्ट आचरण के होते तो स्थिति अलग हो सकती थी। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब भ्रष्ट आचरण का कोई आरोप नहीं था तो इस पर विचार करना अकादमिक होगा कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 उसके खिलाफ लगाए गए भ्रष्ट आचरण का दोषी था या नहीं, क्योंकि भ्रष्ट आचरण का पता चलने के गंभीर परिणाम होते हैं। यदि प्रतिवादी चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, तो न केवल उसका चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाएगा, बल्कि वह कुछ चुनावी अयोग्यता के लिए भी उत्तरदायी होगा। आगे यह देखा गया कि यह स्पष्ट था कि जब किसी चुनाव याचिका में प्रतिवादी के खिलाफ भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया जाता है, तो चुनाव याचिका की सुनवाई उसके तार्किक अंत तक आगे बढ़नी चाहिए और यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या भ्रष्ट आचरण प्रतिवादी द्वारा किया गया था या नहीं। उनके आधिपत्य ने श्योदान सिंह के मामले के एक अनुच्छेद उद्धृत किया है जो इस प्रकार है:-
"...किसी को भी चुनाव के दौरान भ्रष्ट होने और अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर या विधानसभा भंग होने की आकस्मिक परिस्थितियों के कारण बच निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जनता यह देखने में रुचि रखती है कि जिन लोगों ने चुनाव में गड़बड़ी की है, उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाए।''

(15) लोकनाथ के मामले में उनके आधिपत्य द्वारा यह भी देखा गया कि एक प्रश्न का निर्णय कि क्या प्रतिवादी द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया था या नहीं, इसलिए, अकादमिक नहीं होगा और न्यायालय को इसका निर्णय करना होगा, भले ही इस बीच विधानमंडल भंग कर दिया गया है और श्योदान सिंह के मामले में अदालत ने ठीक यही दृष्टिकोण अपनाया था। उस मामले में आगे देखा गया कि श्योदान सिंह के मामले में उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव को चुनाव याचिका में इस आरोप पर चुनौती दी गई थी कि प्रतिवादी चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी था। लोकनाथ के मामले में आगे देखा गया कि श्योदान सिंह के मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया, लेकिन गुण-दोष के आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भ्रष्ट आचरण साबित नहीं

हुआ और तदनुसार चुनाव याचिका खारिज कर दी गई। इसलिए अपीलकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और अपील में भी उत्तरदाताओं की ओर से वही आपत्ति दोहराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया था। श्योदान सिंह के मामले में निर्णय इस तथ्य पर था कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप भ्रष्ट आचरण का था और इसी संदर्भ में, न्यायालय ने माना कि जहां चुनाव याचिका में प्रतिवादी के खिलाफ चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है, वहां विधान सभा के भंग होने पर याचिका निरर्थक नहीं हो जाती। आगे यह भी कहा गया है कि यह अनुपात लोकनाथ के मामले में लागू नहीं होगा, जहां किसी भ्रष्ट आचरण का कोई आरोप नहीं था। श्योदान सिंह के मामले में अनुपात के संबंध में लोकनाथ के मामले में अवलोकन की प्रासंगिक पंक्तियों को उद्धृत करना उचित होगा। वे इस प्रकार हैं:-

"हम यह देखने में विफल हैं कि इस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले में कैसे लागू हो सकता है। यहां प्रतिवादी के विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण का कोई आरोप नहीं है। एकमात्र आधार जिस पर प्रतिवादी के चुनाव को अमान्य करने की मांग की गई है, वह यह है कि उसे एसओ-ए के तहत नामांकन की तिथि पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस अयोग्यता में चुनाव के दौरान भ्रष्ट करने वाला कोई भी कार्य शामिल नहीं है। इसका विशेष चुनाव को रद्द करने के अलावा कोई अन्य परिणाम नहीं है। इसमें भविष्य के लिए कोई चुनावी अयोग्यता शामिल नहीं है। इसलिए, दोनों स्थितियों के बीच कोई समानता नहीं है और इस निर्णय को अपीलकर्ता द्वारा सहायता के लिए नहीं कहा जा सकता है।

इसके बाद, लोकनाथ के मामले में अपने फैसले में उनके आधिपत्य ने श्योदान सिंह के मामले में इस टिप्पणी पर विचार किया कि चुनाव याचिकाएं पूरी तरह से वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित होती हैं और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि कुछ वैधानिक प्रावधान है जिनके अंतर्गत विधानसभा भंग होने पर लंबित चुनाव याचिका समाप्त हो जाती है तब तकउक्त तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिनियम के भाग VI के अध्याय IV में याचिका वापस लेने और समाप्त होने से संबंधित कानून के बारे में श्योदान सिंह के मामले में की गई टिप्पणियों पर भी विचार किया और इस बारे में भी कि क्या कोई याचिका समाप्त हो गई है या नहीं, और क्या कोई समाप्ति के प्रावधान के बाहर यात्रा कर सकता है या नही जब एक चुनाव याचिका के निवारण के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। प्रासंगिक अनुच्छेदों को उद्धृत करने के बाद, उनके आधिपत्य लोकनाथ के मामले में निम्नानुसार टिप्पणी करने गए-

"हम यह देखने में विफल हैं कि ये टिप्पणियाँ अपीलकर्ता के लिए कैसे मददगार हो सकती हैं। वे हमारे सामने रखे गए विवाद से बिल्कुल अलग विवाद से निपटते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस मामले में प्रतिवादी के खिलाफ आरोप भ्रष्ट आचरण का था और इसलिए, प्रतिवादी की ओर से सफलतापूर्वक यह आग्रह नहीं किया जा सका कि अपील में उठने वाले प्रश्न का निर्णय उत्तर प्रदेश विधान सभा के विघटन पर अकादमिक हो गया था। इसलिए, प्रतिवादी के पास जो एकमात्र तर्क बचा था और जिसे वह संभवतः आगे बढ़ा सकता था, वह यह था कि चुनाव याचिका समाप्त हो जानी चाहिए और यही वह तर्क था जिसे इन टिप्पणियों में निपटाया गया था और नकारा गया था। विधानमंडल के विघटन को रोकने के लिए एक न्यायालय ने बताया कि चुनाव याचिकाओं के निवारण से संबंधित कानून को अधिनियम के भाग VI के अध्याय-IV में विस्तृत रूप से निपटाया गया है और चूंकि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विधानमंडल भंग होने पर चुनाव याचिका के निवारण का प्रावधान करता हो, इसलिए यह यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विधानमंडल के विघटन के परिणामस्वरूप चुनाव याचिका का निराकरण नहीं होता है। हम इस दृष्टिकोण से अपनी पूरी सहमति व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारे सामने सवाल यह नहीं है कि क्या वर्तमान मामले में अपील उड़ीसा विधान सभा के भंग होने पर समाप्त हो गई। यह प्रतिवादी की ओर से उठाया गया विवाद नहीं है। प्रतिवादी यह नहीं कहता कि अपील समाप्त हो गई है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी का तर्क यह है कि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के मद्देनजर, अपील पर निर्णय लेना अकादमिक हो गया है और इसलिए हमें इसे सुनने से इनकार कर देना चाहिए। यह पूरी तरह से अलग तर्क है जो ऊपर उद्धृत टिप्पणियों में शामिल नहीं है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि यह निर्णय हमारे सामने उठाए गए विवाद पर कोई प्रकाश डालता है। यह हमें उस दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता जिसे हम सैद्धांतिक रूप से अपनाने के इच्छुक हैं।"

(जोर दिया गया)

(16) इसलिए लोकनाथ के मामले में बाद के फैसले में यह अंतर बताया गया है कि यह समाप्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न को पूरी तरह से अकादमिक बना दिया गया है और इसलिए, न्यायालय को इस पर सुनवाई करने से इनकार कर देना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को अलग कर दिया है, तो पहले के फैसले के तीन न्यायाधीशों के होने के संबंध में चर्चा आवश्यक है क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां पहले के फैसले को बाद

के फैसले में संदर्भित नहीं किया गया था। इसके विपरीत, पहले के फैसले का संदर्भ लिया गया, उस पर विचार किया गया और उसकी पहचान की गई। इसलिए, लोकनाथ के मामले में लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान मामले पर लागू होगा, न कि श्योदान सिंह (सुप्रा) के मामले में।

(17) लोकनाथ के मामले में फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता के वकील ने मोती राम (सुप्रा) के मामले का हवाला दिया है। उस मामले में भी भ्रष्ट आचरण का सवाल शामिल नहीं था। मोती राम के मामले में, लोकनाथ के मामले के फैसले पर भी विचार किया जाता है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद संख्या 4 में यह माना गया है कि यह मामला लोकनाथ के मामले से इस मायने में भिन्न है कि उस मामले में चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी जबकि मोती राम के मामले में अपीलकर्ता के चुनाव के खिलाफ चुनाव याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं। और विधानसभा भंग होने पर चुनाव रद्द कर दिया गया। निर्णय के अनुच्छेद संख्या 4 में इस अंतर को चित्रित करने के बाद, मोती राम के मामले में उनके आधिपत्य ने आगे कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय के फैसले ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया, अपीलकर्ता को चुनाव के बाद मिले विभिन्न भत्ते वापस करने की आवश्यकता हो सकती है। । जबकि वह अपने उच्च न्यायालय के फैसले तक विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे और इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के चुनाव को अमान्य करने से प्राप्त भत्ते को वापस करने का दायित्व बढ़ सकता है। अपीलकर्ता विधान सभा के सदस्य के रूप में है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उस मामले में विचार के लिए उठने वाला प्रश्न पूरी तरह से अकादमिक प्रकृति का था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मोती राम के मामले में उनके आधिपत्य ने मामले को लोकनाथ के मामले से अलग कर दिया था, मामला यह था कि मोती राम के मामले में, विधानसभा भंग होने पर चुनाव याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। वे अन्यथा लोकनाथ के मामले में फैसले से भिन्न नहीं थे और मौद्रिक लाभ की वापसी के संबंध में टिप्पणियों उस संदर्भ में दी गई हैं जहां चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया गया था। बेशक, उनके आधिपत्य ने यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता मोती राम को भत्ते आदि वापस करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने केवल संभावना बताई है कि अपीलकर्ता को भत्ते आदि वापस करने की आवश्यकता हो सकती है।

(18) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यदि चुनाव रद्द कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी नंबर 1 को प्राप्त सभी भत्ते वापस करने होंगे और वह अपनी पेंशन भी खो देगा। हालाँकि, जब विधानसभा भंग हुई थी

उस समय साक्ष्य का स्तर मौजूद था, भत्ते आदि वापस करने की आवश्यकता के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, वर्तमान मामला भी मोती राम के मामले से इस हद तक अलग है कि वर्तमान मामले में, चुनाव याचिका की अनुमति नहीं दी गई और विधानसभा के विघटन पर विचार करने का प्रश्न उठने पर प्रतिवादी नंबर 1 का चुनाव रद्द नहीं किया गया है। लोकनाथ के मामले से मोती राम के मामले में उनके आधिपत्य द्वारा खींचा गया अंतर वही है जो मोती राम के मामले और इस मामले के बीच है।

(19) उपरोक्त सभी कोणों से, यह मामला लोकनाथ के मामले में निर्धारित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में, चुनाव याचिका के साथ आगे बढ़ना पूरी तरह से अकादमिक होगा और मेरा मानना है कि चुनाव याचिका अकादमिक हो गई है और इसलिए निरर्थक है।

(20) उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह चुनाव याचिका अकादमिक हो गई है और इसलिए निरर्थक होने के कारण खारिज कर दी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा